



भारत सरकार Government of India  
खान मंत्रालय Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines  
100, ओल्डनेहरु कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 /100 Old Nehru Colony, Dehradun  
(U.K.)248001  
TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - [ro.dehradun@ibm.gov.in](mailto:ro.dehradun@ibm.gov.in)



फाईल संख्या File No: MCDR-  
MiFLOLST/07/2022/DDN

Mine Code: 38HP10044 दिनांक , 31, जनवरी2024

सेवा में To: श्री जालम सिंह फौजी खननपट्टाधारक-  
बरवास चूनापत्थर खान, गांव व पोस्ट-  
सतौन, पांवटा सहिब, जिला-सिरमौर, हि.प्र.  
173029

Email-jalamsingh@rediffmail.com

विषय Sub: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Barwas Limestone Mine, Mining Lease over an area of 08.91 ha located near Village-Barwas Tehsil-Paonta Sahib, District-Sirmour in Himachal Pradesh-Reg

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 13.03.2023 को श्री रोहित सिंह ,खान मलिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी व दिनांक 19.10.2023 श्री मुकेश कुमार शर्मा ,सहायक खनन अभियंता द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया ।

<b>RULE NO.</b>	<b>NATURE OF VIOLATION OBSERVED</b>
11(1)	Mining Operation were not carried out in accordance with the approved Review and Updation of Mining Plan with Progressive Mine Closure Plan (PMCP) vide letter no. 614(2)/MS-B-193/11-DDN dated 13-09-2021 to the following extent: 1. Chapter -2, page no. 24 During year 2022-23 benches proposed from 1524 mRL to 1506 mRL with height of 6 meter but during the inspection it was found benches formation have not been carried as per proposals and heights of existing benches also observed more than proposals.
45(7)	In the submitted Annual Return 2021-22 discrepancy is found as follow: 1.In part VI, Item 2 dispatched have been shown from mine head but at the same time the deductions have been claim toward the cost of transportation upto loading station which is contradictory. Further on examination it has been observed that no such loading site/storage site has been registered.

- उपरोक्त उल्लिखित उल्लंघन पत्र का जबाब आपके पत्र संख्या No.JMM/BARWAS/IBM-VOILATION/2023 दिनांक 09.11.2023 को ई मेल माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आपके जबाब पत्र की जांच करने पर पाया गया की आपके द्वारा नियम आपके 11(1) व 45(7) की अनुपालना नहीं की गई है ।
- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11 व 45(7) का उल्लंघन एमसीडीआर नियम,2017 के तहत दंडनीय अपराध है।
- इसके अतिरिक्त नियम 11(1) व 45(7) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंशा की जा सकती है,और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है । ।
- आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत ठीक करें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अनुपालन स्थिति से अवगत कराएं।
- कृपया ध्यान दें कि इस संबंध में आपको आगे कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा ।

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma)  
सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि० प्र० सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि० प्र०).  
(geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines